केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
Baba GangnathMarg /बाबा गंगनाथ मार्ग,
Munirka/मुनिरका,नई दिल्ली/New Delhi -110067
Website-cic.gov.in

File No.3/1/2022/Dak Section
CICOM/R/P/22/00088

Date: 03-03-2022

सेवा में,

जोगिंद्र सिंह
18/82-सी, [illegible] मोती बाग
[illegible] दिल्ली-110[illegible]

ED509175918IN

विषय - RTI एक्ट २००५ के तहत सूचना प्रदान करना।

महोदय,

श्री जोगिंद्र सिंह, के आरटीआई आवेदन दिनांकित 14-02-2022 का उल्लेख कर रहा हूं, जिसे नंबर सी.आई.सी.ओ.एम/आर/पी/22/00088 के तहत पंजीकृत किया गया है। यह आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ आर.टी.आई-सेल से ऑनलाइन आर.टी.आई-एम.आई.एस के माध्यम से दिनांक 18-02-2022 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी निम्लिखित है:-

<u>बिंदु 1 & 2.</u> इस आयोग के सॉफ्टवेयर (ऍप्सकम व ई-ऑफिस) के अवलोकन से पता चला है कि श्री जोगिंद्र सिंह द्वारा प्रेषित दिनांकित 12-02-2021 वाला पत्र इस आयोग में प्राप्त होने पर दिनांक 19-02-2021 को संख्या E -33552 के तहत डायरी करके CPIO /CR -II अनुभाग को भेजा गया। परिक्षण के उपरांत इसे डायरी संख्या 108934 के तहत दिनांक 25-02-2021 को कंप्लायंस सेल को भेज दिया गया।

उपरोक्त पत्र की भाँति आवेदक द्वारा प्रेषित दूसरा पत्र दिनांकित 15-02-2021 को भी डायरी संख्या E-33554 के तहत दिनांक 19-02-2021 को डायरी किया गया। तत्पश्चात इसे डायरी संख्या 108933 के तहत दिनांक 25-02-2021 को कंप्लायंस सेल भेजा गया।

चूँकि मामला आदरणीय मुख्य सूचना आयुक्त, श्रीमान वाई. के. सिन्हा की रजिस्ट्री के उप-पंजीयक से सम्बंधित है। अतः आगे कि कार्यवाही से अवगत कराने हेतु आपके आर. टी. आई आवेदन के इस भाग को आदरणीय मुख्य सूचना आयुक्त, श्रीमान वाई. के. सिन्हा की रजिस्ट्री के उप-पंजीयक को स्थानांतरित किया जाता है।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आवेदक उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह श्री अजीतकुमार वसंतराव सोंताके, निदेशक (कानून) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067 के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत पहली अपील दायर कर सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर 011-26162290 है।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
03 MAR 2022
D. No.
Initials

(राम पाल सिंह)
डाक अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि

1. Hon'ble DR TO CCIC (YS) -सूचना एव आवश्यक कार्यवाही हेतु (आरटीआई आवेदन की प्रति संलग्न है।)
2. सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई सेल केंद्रीय सूचना आयोग - सूचनार्थ